रजिस्ट्री सं. डी एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 362 नई दिल्ली मंगलवार, अक्तूबर 19, 1993/आश्विन 27, 1915
No. 362] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 19, 1993/ASVINA 27, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1993

स. 97/93-केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

सा.का नि. 664(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी यह राय होने पर कि महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में हाल ही में आया भूकम्प एक व्यापक विपत्ति थी और प्रभावित लोगों को हुई असाधारण कठिनाई संबंधी परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह समाधान हो जाने पर भी कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले ऐसे सभी उत्पाद-शुल्कय माल को, जो उक्त राज्यों में भूकम्प से प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए दान में दिया गया है या नकदी दान से क्रय किया गया है, उपरोक्त वर्णित दोनों अधिनियमों के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् —

(1) ऐसे माल के विनिर्माता द्वारा सुसंगत निकासी दस्तावेजों पर यह प्रमाणित किया जाता है कि माल उक्त राज्यों में भूकम्प से प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए दान में दिए जाने के लिए आशयित है तथा उस पर कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा;

(2) माल सीधे विनिर्माता के कारखाने या भाण्डागार से यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र सरकार/कर्नाटक सरकार या केन्द्रीय सरकार या महाराष्ट्र सरकार/कर्नाटक सरकार के राहत अभिकरणों को जिनके अन्तर्गत सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित राहत अभिकरण भी हैं, भेजा जाता है; और

(3) विनिर्माता, माल के हटाए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक कलक्टर किसी मामले में अनुज्ञात करे,

कारखाने के भारसाधक केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारी के समक्ष महाराष्ट्र या कर्नाटक राज्यों में प्रभावित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि माल पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए दान में दिया गया है।

2. यह अधिसूचना तारीख 25 अक्तूबर, 1993 को प्रवृत्त होगी और 31 दिसंबर, 1993 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. 341/37/93-टी.आर.यू.]

सुशील सोलंकी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 1993

No. 97/93-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 664(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of Section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being of the opinion that the recent earthquake in the States of Maharashtra and Karnataka was of the nature of a major calamity and considering the circumstances of exceptional hardship caused to the affected people and also being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all excisable goods falling under the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), donated or purchased out of cash donations, for the relief and rehabilitation of the people affected by the earthquake in the said States from the whole of the duty of excise leviable thereon under both the above mentioned Acts, subject to the following conditions, namely :—

(i) that it is certified by the manufacturer of such goods on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated for the relief and rehabilitation of the people affected by the earthquake in the said States without making any charge therefor ;

(ii) that the goods are sent directly from the factory of manufacture or warehouse to the Central Government, the Government of Maharashtra, the Government of Karnataka; or as the case may be the relief agencies of the Central Government, the Government of Maharashtra or the Government of Karnataka including the relief agencies, duly approved by the Government; and

(iii) that the manufacturer produces before the central excise officer in-charge of the factory within three months from the date of removal of the goods or within such extended period as the Assistant Collector may in any case allow, a certificate from the District Magistrate of the affected area in the States of Maharashtra or Karnataka to the effect that the goods have been donated for use for the aforesaid purpose.

2. This Notification shall come into force on the 25th day of October, 1993 and shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of December, 1993.

[F. No. 341/37/93-TRU]

SUSHIL SOLANKI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1993

सं. 175/93-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 665.(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 62) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी यह राय होने पर कि महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में हाल ही में आया भूकम्प एक व्यापक विपत्ति थी और प्रभावित लोगों को हुई असाधारण कठिनाई संबंधी परिस्थितियों पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर भी कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी माल को जब उसका भारत में आयात किया जाता है और जो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में भूकम्प से प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए दान में दिए जाने के लिए आशयित है—

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क,

से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

(i) ऐसे माल के आयातकर्ताओं द्वारा सुसंगत निकासी दस्तावेजों पर यह प्रमाणित किया जाता है कि माल उक्त राज्यों में भूकम्प से प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए दान में दिए जाने के लिए आशयित है तथा उस पर कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा;

(ii) उक्त आयातित माल यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार या केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार के राहत अभिकरणों को जिनके अन्तर्गत सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित राहत अभिकरण भी है, भेजा जाता है; और

(iii) आयातकर्ता उक्त माल आयात किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष महाराष्ट्र या कर्नाटक राज्यों के प्रभावित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त माल पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए दान में दिया गया है।

2. यह अधिसूचना तारीख 25 अक्तूबर, 1993 को प्रवृत्त होगी और 31 दिसंबर, 1993 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. 341/37/93-टी आर यू]
सुशील सोलंकी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 1993

No. 175/93-CUSTOMS

G.S.R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being of the opinion that the recent earthquake in the States of Maharashtra and Karnataka was of the nature of a major calamity and considering the circumstances of exceptional hardship caused to the affected people and also being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods falling under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India and intended for donation for the relief and rehabilitation of the people affected by the earthquake in the States of Maharashtra and Karnataka from :—

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); and

(b) the whole of additional duty of Customs leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely :—

(i) that it is certified by the importer on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated for the relief and rehabilitation of the people affected by the earthquake in the said States without making any charge therefor;

(ii) that the said imported goods are sent to the Central Government, the Government of Maharashtra, the Government of Karnataka; or as the case may be the relief agencies of the Central Government, the Government of Maharashtra or the Government of Karnataka including the relief agencies duly approved by the Government; and

(iii) that the importer produces before the Assistant Collector of Customs within three months from the date of importation of the said goods or within such extended period as the Assistant Collector Customs may allow, a certificate from the District Magistrate of the affected area in the States of Maharashtra or Karnataka to the effect that the said goods have been donated for use for the aforesaid purpose.

2. This Notification shall come into force on the 25th day of October, 1993 and shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of December, 1993.

[F. No. 341/37/93-TRU]
SUSHIL SOLANKI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993